Annex - 4

कार्यालय उपजिलाधिकारी
अनूसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006
के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति
टिहरी।

उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत क्यारी सुरकण्डा योजना हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.50 है0 का वन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जानें हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनौल्टी की दिनांक 22.12.2014) को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डी0 एन0 शर्मा उप जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक मे मान्नीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1:– श्री डी0 एन0 शर्मा उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष (उप जिलाधिकारी धनौल्टी टिहरी गढ़वाल)

2:– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी – सदस्य (उप प्रभागीय वनाधिकारी)

3:– सहायक समाज कल्याण अधिकारी, विकासखण्ड धनौल्टी – सदस्य / सचिव (सहायक समाज कल्याण अधिकारी)

4:– क्षेत्र पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत क्यारी (Seema; श्रीमती सीमा रौंछेला सदस्य क्षेत्र पंचायत - क्यारी वार्ड नं0 23 विकास खण्ड जौनपुर, टि0ग0) – सदस्य

5:– प्रधान ग्राम सभा क्यारी (प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी वि0 ख0 जौनपुर टिहरी गढ़वाल; ह0 जारो देवी) – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मान्नीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि क्यारी सुरकण्डा योजना हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 0.500 है0 वनभूमि वन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जानें हेतु प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।